संख्या– / ।।(02)/2021–03(10)/2017

प्रेषक,

उदय राज सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,
सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सिंचाई एंव बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–02 **देहरादून, दिनांक 12 फरवरी, 2021**

विषयः– वित्तीय वर्ष 2020–21 में नाबार्ड वित्त पोषित RIDF-XXIII के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत जल संवर्द्धन एवं पेयजल स्रोत विकास योजना में मूल्य वृद्धि प्रस्ताव की पुनरीक्षित स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–568, दिनांक 23.03.2018 (प्रति संलग्न) द्वारा जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुद्देशीय जलाशय के निर्माण की परियोजना की लागत 2713.94 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2– आपके पत्र संख्या–2396/प्र0अ0/बजट/बी–1(नाबार्ड), दिनांक 07.01.2021 के क्रम में परियोजना के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेश दिनांक 23.03.2018 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य सम्बन्धित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के साथ–साथ निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन RIDF-XXIII के अन्तर्गत पूर्व में स्वीकृत जनपद चम्पावत के लोहाघाट के समीप कोलीढेक में बहुद्देशीय जलाशय के निर्माण की परियोजना (घोषणा संख्या–700/2007) लागत रू0 2713.94 लाख में रू0 362.18 लाख की मूल्य वृद्धि को जोड़ते हुये (रू0 2713.94+रू0 362.18लाख) कुल रू0 3076.12 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) निर्माण सामग्री यथा पाईप, सीमेन्ट, स्टील एंव प्रयुक्त अन्य सामग्री का Frequency के अनुरूप से I.RI/N.A.B.L Laboratory से परीक्षण अवश्य करा लिया जाय।

(2) प्रोक्योरमेन्ट मदों के सम्बन्ध में कार्यवाही अधिप्राप्ति नियमावली–2017 के अनुसार की जाय।

(3) विशिष्टयां तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है, ऐसी स्थिति में कार्यदायी संस्था तथा शासन की स्वीकृति आवश्यक होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आगणन में समायोजन करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं।

(4) मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथा सम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग किया जाये तथा होने वाली बचतों से नियोजन विभाग को अवगत कराया जाय।

क्रमशः–2–

(5) योजना की तृतीय पक्ष गुणवत्ता का कार्य नियोजन विभाग द्वारा किया जायेगा।

(6) योजना में प्रस्तावित संरचनाओं का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यस्थल पर आवश्यक Geotechnical Investigation कराये जाने आवश्यक है तथा उक्त का समावेश करते हुये डिजाइन Criteria एवं संरचनाओं की Detailed Structural Design की जाय। संरचनाओं की Detailed Structural Design की वैटिंग/परीक्षण का कार्य सिंचाई परिकल्पन संस्थान/विभाग द्वारा स्वयं किया जायेगा। ड्रांइग राज्य योजना आयोग को उपलब्ध कराये जाये।

3— उक्त पर होने वाला व्यय सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

4— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0—132/XXVII(1)/2021, दिनांक 08 फरवरी, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक— यथोक्त।

भवदीय,

(उदय राज सिंह)
अपर सचिव।

संख्या— 84 (1)/II(02)/2021—03(10)/2017, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड, कोलागढ़ रोड, देहरादून।
2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कोलागढ़ रोड, देहरादून।
3— निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय।
4—वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5— वित्त अनुभाग—1 एवं 2, उत्तराखण्ड शासन।
6—नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7—बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
8—निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
9—गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0एल0 शर्मा)
संयुक्त सचिव।